# न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

## (पीठासीन अधिकारी– सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

निगरानी संख्याः– 138/2018 नगर सुधार न्यास एक्ट (RCMS No.2018/00153)

शिवकुमार शर्मा पुत्र श्री किशनसिंह जाति ब्राहमण निवासी मंदिर छापरपोस्ट मूडौता तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर।

.....रैस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ फैसला सचिव नगर विकास न्यास भरतपुर दिनांक 3.4.2018 बाबत आवंटन क्वार्टर नम्बर एफ एफ–42, सैक्टर नम्बर –3 शिवकुमार शर्मा पुत्र किशनसिंह निवासी मौजा मूडौता तहसील व जिला भरतपुर।

उपस्थितिः–

1. श्री तोताराम शर्मा वकील अपीलान्ट।

## नि र्ण य

दिनांक 31.01.2023

उक्त अपील सचिव नगर विकास न्यास भरतपुर द्वारा अपीलान्ट को जारी नोटिस कमांक भू0वि0शा0/2018/2003 दिनांक 3.4.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि सचिव नगर विकास न्यास भरतपुर द्वारा अपीलान्ट को नोटिस दिनांक 3.4.2018 इस आशय का जारी किया गया कि अपीलान्ट को न्यास द्वारा क्वाटर नम्बर एफ एफ 42 सैक्टर नम्बर 3 योजना में आवंटित किया गया था जिसके संबध में अपीलान्ट को श्री किशनसिंह की जून 2014 में कितनी पेंशन का भुगतान जिस कार्यालय से किया जा रहा था उस कार्यालय से जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु अपीलान्ट को पूर्व में भी पत्र दिनांक 21.7.2016, 5.10.2016, 12.8.2017 जारी किये गये थे। परन्तु अपीलान्ट ने अपने पिता स्व0 श्री किशनसिंह का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। अतः आपको यानि अपीलान्ट अन्तिम बार सूचित किया जाता है कि आप 15 दिवस में उपरोक्त आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दे । परन्तु आप द्वारा अभी तक आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण एवं एल0 ए0 की राय अनुसार आपके पक्ष से क्वाटर नम्बर एफ एफ 42 सैक्टर नम्बर 3 निरस्त किया जाता है सूचित हो। इस आदेश कमांक भू0वि0शा0/2018/2003 दिनांक 3.4.2018 के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोडेन्ट एवं तहत पत्रावली तलब की गई। वकील रैस्पोडेन्ट बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आये वकील अपीलान्ट की एकतरफा बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया कि तहत अदालत का आदेश दिनांक 03.04.2018

31.1.2023

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। नगर विकास न्यास भरतपुर द्वारा अफोर्डेबिल ई डब्लू एस जी प्लस 2 सैक्टर नम्बर 3 में क्वार्टर के लिये अपीलान्ट ने नगर विकास न्यास भरतपुर में भूतपूर्व सैनिक के पुत्र की हैसियत से क्वार्टर आवंटन के लिये 15000/–रूपये की फीस जरिये ड्राफ्ट जमा कर आवेदन किया था। जिस पर नगर विकास न्यास भरतपुर द्वारा अपीलान्ट के लिये क्वार्टर एफ एफ 42 सैक्टर नम्बर 3 आवंटन किया। आवंटन की सूचना नगर विकास न्यास भरतपुर द्वारा अपीलान्ट को पत्र कमांक 4228 दिनांक 20.6.2014 का पत्र प्राप्त हुआ। जिसकी पालना में अपीलान्ट ने समस्त दस्तावेज नगर विकास न्यास भरतपुर में जमा कर दिये। इसके बाद कार्यालय नगर विकास न्यास भरतपुर के पत्र कमांक 7298 दिनांक 26.9.2014 के द्वारा अपीलान्ट को आवंटन पेटे 3,05831 रूपये/ जमा करवाये जाने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त पत्र नगर विकास न्यास भरतपुर द्वारा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत समस्त दस्तावेज जांच करने के बाद जारी किया गया था। इस पर अपीलान्ट ने जरिये चालान कम संख्या 22352 दिनांक 21.10.2014 बैंक ओबीसी खाता संख्या 11322010001010 राशि 70850/– रूपये तथा जरिये चालान कम संख्या 22351 दिनांक 24.11.2014 राशि 70,000/– रूपये ओबीसी बैंक खाता संख्या 11322010001010 में जमा कराये। इसके बाद यू. आई.टी. की ओर से अपीलान्ट को दिनांक 10.02.2015 को रजिस्टर्ड ए0डी0 पत्र कमांक 1227 प्राप्त हुआ कि जिसमें अपीलान्ट के आवास पेटे 1,40,851/–रूपये जमा होने के कारण तथा संलग्न प्रारूप अनुसार 100/– रूपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र पेश करने व 15 दिवस में कब्जा प्राप्त करने का लिखा गया। इस पत्र की पालना में अपीलान्ट ने निर्धारित प्रारूप में नगर विकास न्यास में शपथपत्र प्रस्तुत किया। नगर विकास न्यास भरतपुर के पत्र कमांक 1954 दिनाक 10.3.2015 प्राप्त होने पर अपीलान्ट ने उक्त क्वार्टर एफ एफ 42 सैक्टर नम्बर 3 पर दिनांक 16.3.2015 को कब्जा प्राप्त कर लिया तथा दिनांक 16.3.2015 से अपीलान्ट आज दिनांक तक काबिज है। कब्जा लेने के बाद अपीलान्ट नियमित रूप से नगर विकास न्यास भरतपुर में नियमानुसार 1551/–रूपये प्रतिमाह किश्त जमा करता आ रहा है। नगर विकास न्यास के पत्र कमांक 8420 दिनांक 18.9.2015 द्वारा अपीलान्ट को आय प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत करने को कहा। जिसकी पालना में अपीलान्ट ने दिनांक 28.09.2015 को जबाब पेश किया। इसके पश्चात नगर विकास न्यास भरतपुर की ओर से पत्र दिनांक 26.11.2015 प्राप्त हुआ जिसमें अपीलान्ट के पिता श्री किशनसिंह का जून 2014 का आय प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र पेश करने का लिखा गया। इसकी पालना में अपीलान्ट द्वारा नगर विकास न्यास में पिताजी की मृत्यु प्रमाण पत्र पेश कर दिया तथा आय प्रमाण पत्र पेंशन लेने वाली बैंक के द्वारा नही दिये जाने के कारण प्रस्तुत नही किये जा सकने का उल्लेख किया गया। इसके बाद कार्यालय नगर विकास न्यास भरतपुर का अपीलाधीन आदेश पत्र कमांक 3003 दिनांक 3.4.2018 का प्राप्त हुआ जिसमें 15 दिवस में आय प्रमाण पत्र पेश करने का समय दिया था तथा क्वार्टर नम्बर एफ एफ 42, सैक्टर नम्बर 3 भरतपुर का निरस्त करने आदेश भी सचिव नगर विकास न्यास भरतपुर द्वारा दे दिया। इस पत्र के प्राप्त होने पर दिनांक 17.4.2018 को अपीलान्ट ने एक नोटिस सचिव नगर विकास न्यास भरतपुर को प्रेषित किया तथा उसमें समस्त वस्तुस्थिति से अवगत कराया और आवंटन निरस्त न करने की मांग की

31.10.2023

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

तथा आवंटन पूर्ववत प्रभाव से दिनांक 20.6.2013 से बहाल करने का नोटिस दिया। इस पर दिनांक 10.5.2018 को गिरीशचंद बंसल एडवोकेट ने जरिये सचिव नगर विकास न्यास भरतपुर अपीलान्ट के वकील श्री सतीश चन्द सारस्वत एडवोकेट को जबाब प्रेषित किया जिसमें आवंटन को वैद्य प्रकार से निरस्त करना बताया । इस पर अपीलान्ट को सचिव नगर विकास न्यास के आदेश दिनांक 3.4.2018 एवं दिनांक 10.5.2018 के गिरीश बंसल एडवोकेट के नोटिस से अपीलान्ट को अपने हकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है। इसलिऐ अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। अपीलान्ट के विरूद्ध ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जिससे आवंटन को निरस्त किया जा सके। आवंटन गैर कानूनी तरीके से मनमाने तरीके से निरस्त किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है। अपीलान्ट द्वारा कार्यालय नगर विकास न्यास भरतपुर द्वारा जारी बुकलेट में भूतपूर्व सैनिक का पुत्र आवेदन का हकदार है। इसी आधार पर अपीलान्ट ने आवंटन का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। अपीलान्ट के पिता स्व0 श्री किशनसिंह पुत्र श्री रघुनाथ जाति ब्राहमण निवासी मंदिर छापर तहसील व जिला भरतपुर भूतपूर्व सैनिक थे जिनको सेन्ट्रल बैंक शाखा सेवर से पेंशन मिलती थी। दिनांक 22.10.2015 को किशनसिंह का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास होने पर सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा सेवर ने अपीलान्ट के पिता का खाता बन्द कर दिया। इसके कारण सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा सेवर ने अपीलान्ट के पिता स्व0 किशनसिंह का जून 2014 का आय प्रमाण पत्र जारी नहीं किया तथा उन्हौने कहा कि मृतक व्यक्ति का आय प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता। कार्यालय नगर विकास न्यास भरतपुर द्वारा जारी आवंटन पुस्तिका में भूतपूर्व सैनिक व उनके पुत्र द्वारा आवंटन प्रार्थना पत्रों पर कुल क्वाटर्स का 10 प्रतिशत आरक्षण था। जब भूतपूर्व सैनिक व उनके पुत्र को 10 प्रतिशत का आरक्षण है तो आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता ही नहीं है क्यों कि आवंटन पुस्तिका में 5,000/– रूपये मासिक आय तक आय ही बताई है, जबकि पूरे भारतवर्ष में किसी भी भूतपूर्व सैनिक को व अन्य किसी कर्मचारी को जून 2014 में 5,000/– रूपये से अधिक पेंशन मिलती थी। जब सैनिक का आरक्षण है तो सैनिकों के लिये आय संबधी प्रावधान करना कतई गैर कानूनी है और इस आधार पर कि भूतपूर्व सैनिक किशनसिंह का आय प्रमाण पत्र पेश नहीं किया गया है। इस आधार पर सचिव नगर विकास न्यास भरतपुर द्वारा दिनांक 3.4.2018 को आवंटन निरस्त करना कतई मनमाना गलत एवं गैर कानूनी है। सचिव नगर विकास न्यास भरतपुर का आदेश दिनांक 3.4.2018 जो कि अपीलान्ट को 16.4.2018 को प्राप्त हुआ जिस पर अपीलान्ट ने दिनांक 17.4.2018 श्री सतीशचन्द सारस्वत एडवोकेट भरतपुर द्वारा श्रीमान सचिव नगर विकास न्यास भरतपुर को लीगल नोटिस धारा 98 राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959 भेजा। जिस पर श्रीमान सचिव नगर विकास न्यास भरतपुर द्वारा श्री गिरीशचंद बंसल एडवोकेट से दिनांक 10.5.2018 को अपीलान्ट के उपरोक्त नोटिस का जबाब भेजा जो कि अपीलान्ट के वकील श्री सतीशचंद सारस्वत को दिनांक 14.5.2018 को प्राप्त हुआ तथा श्री सतीशचंद सारस्वत एडवोकेट से अपीलान्ट को दिनांक 18.5.2018 को नोटिस प्राप्त होने की जानकारी मिली। अतः सचिव महोदय के आदेश दिनांक 3.4.2018 एवं जबाब नोटिस दिनांक 10.5.2018 जो कि अपीलान्ट को जबाब दिनांक 18.5.2018 प्राप्त होने पर अपील अन्दर मियाद पेश है फिर भी धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

31.1.2023

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

शपथ पत्र अदालत हाजा में पेश किया गया है। अपीलान्ट का आवास गृह संख्या एफ एफ –42 योजना सैक्टर नम्बर 3 पर दिनांक 16.3.2015 से लगातार कब्जा चला आ रहा है। अपीलान्ट द्वारा कार्यालय नगर विकास न्यास भरतपुर द्वारा समय–समय परजारी किये गये पत्रों का सन्तोषप्रद जवाब दिया गया था तथा अपीलान्ट द्वारा नगर विकास न्यास भरतपुर द्वारा समय–समय पर मांगे गये समस्त दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये गये। इसके बावजूद भी अपीलान्ट का आवंटित क्वार्टर निरस्त किया जाना गैर कानूनी एवं गलत है। रैस्पों0 द्वारा बिना किसी ठोस आधार के संक्षिप्त आदेश अपीलान्ट के हक में आवंटित आवास को निरस्त किये जाने का जारी किया है जो कि नियमविरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.4. 2018 निरस्त किया जावे एवं अपीलान्ट को किया गया आवंटन बहाल किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई तथा मनन किया गया व अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा अदालत हाजा में अपील मियाद बाहर पेश किये जाने के कारण सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट द्वारा मीमो आफ अपील के साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र अपील पेश करने में हुये विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है। जिसका रैस्पों0 की ओर से कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया है और न ही किसी प्रकार का कोई काउन्टर शपथ पत्र ही प्रस्तुत किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक से पूर्व रही हो। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में वर्णित आधारों पर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है तो नगर विकास न्यास की ओर से जारी अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.04.2018 उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि नगर विकास न्यास की ओर से जारी योजना के तहत अपीलान्ट द्वारा भूतपूर्व सैनिक के पुत्र की श्रेणी में आवास आवंटन हेतु आवेदन किया था। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजात व पात्रता की जांच के बाद नगर विकास न्यास की ओर से अफोर्डबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 के तहत ई. डब्ल्यू.एस. योजना के अंतर्गत सेक्टर नं0–3 में क्वार्टर नं0 42 नगर विकास न्यास के पत्र कमांक 7298 दिनांक 26.09.2014 के द्वारा विधिवत रूप से आवंटित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा उक्त आवास की कीमत पेटे राशि जमा करायी जाने पर नगर विकास न्यास द्वारा पत्र कमांक 1227 दिनांक 10.02.2015 द्वारा 100 रूपये/– के स्टाम्प पर शपथ पेश करने व 15 दिवस में कब्जा प्राप्त करने हेतु लिखा गया है। अपीलान्ट द्वारा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र पेश किये जाने पर यू.आई.टी. की ओर से पत्र कमांक 1954 दिनांक 10.03.2015 जारी किया गया है एवं अपीलान्ट को दिनांक 16.03.2015 को आवास का कब्जा संभलाया गया है। इसके बाद यू.आई.टी. की ओर से अपीलान्ट को नोटिस कमांक 8420 दिनांक 10.09.2015 जारी किया गया है जिसमें आय प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र दिनांक 30.09.2015 तक पेश किये जाने की अपेक्षा की गयी। उक्त नोटिस के जवाब में अपीलान्ट द्वारा दिनांक 28.09.

31.1.2019

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

2015 को राजपत्रित अधिकारी की ओर से जारी आय प्रमाण पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत किया। यू.आई.टी. की ओर से अपीलान्ट को पुनः पत्र क्रमांक 10767 दिनांक 26.11.2015 जारी किया गया है जिसमें अपीलान्ट के पिता किशनसिंह की जून 2014 में मासिक आय का प्रमाण पत्र चाहा गया। इस नोटिस का अपीलान्ट ने दिनांक 15.12.2015 को जबाब प्रस्तुत किया। इसके बाद लगभग 3 माह बाद यू. आई.टी. की ओर से अपीलान्ट को नोटिस क्रमांक 1467 दिनांक 24.02.16 जारी किया गया है जिसमें पेंशन भुगतान करने वाले कार्यालय द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी। इस नोटिस का जबाब भी अपीलान्ट द्वारा दिनांक 03.08.2016 को प्रस्तुत किया गया लेकिन पुनः यू.आई.टी. में पत्र क्रमांक 8974 दिनांक 05.10.2016 जारी किया गया जिसमें जून 2014 में ली जा रही पेंशन व आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का लिखा गया। इसका प्रतिउत्तर भी अपीलान्ट की ओर से दिनांक 21.07.2017 को पेश किया गया है। इसी प्रकार यू.आई.टी. की ओर से जारी नोटिस क्रमांक 6501 दिनांक 12.08.2017 का अपीलान्ट द्वारा दिनांक 06. 11.2017 को जबाब पेश किया गया। नगर विकास न्यास की ओर से अपीलान्ट को पत्र क्रमांक 3003–005 दिनांक 03.04.2018 जारी किया गया जिसमें अपीलान्ट के स्व0 पिता किशन सिंह की आय का प्रमाण पत्र पेश नहीं करने तथा एल.ए. की राय के अनुसार अपीलान्ट के पक्ष में आवंटित क्वार्टर नं0 एफ–42 सैक्टर नं0–3 निरस्त किये जाने का उल्लेख किया गया। नगर विकास न्यास की ओर से जारी उक्त पत्र न तो स्पीकिंग है और न ही स्पष्ट ही है तथा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत जबाब में वर्णित तथ्यों को नहीं माने जाने का कोई आधार भी उक्त अपीलाधीन पत्र/आदेश में नहीं दिया गया। जबकि अपीलान्ट को नगर विकास न्यास की ओर से विधिवत आवास आवंटित किया गया है तथा नगर विकास न्यास की ओर से अपीलान्ट द्वारा आवास के पेटे वांछित राशि जमा कराये जाने के बाद आवंटित आवास का कब्जा भी संभलाया गया। अपीलाधीन संबंधित पत्रावली में भी अपीलान्ट के हक में जारी आवास को निरस्त किये जाने का कोई पर्याप्त व उचित आधार नहीं है। केवल विधि सहायक द्वारा की गई इस आशय की टिप्पणी कि आवेदक जान–बूझकर अपने पिता की आय का प्रमाण पत्र पेश नहीं कर रहा है। आवंटन गलत आय प्रमाण पत्र के आधार पर किया गया है। आवेदक ने सही तथ्यों को छिपाया है तथा तथ्यों को छिपाकर आवंटन करवाया है। अतः आवंटन निरस्त किया जाना उचित है। इस आधार पर सचिव नगर विकास न्यास भरतपुर की ओर से पत्र दिनांक 03.04.2018 के द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में किये गये आवासीय आवंटन को निरस्त किया है जो कि उचित नहीं है। क्योंकि आवास आवंटन को निरस्त करने से पूर्व अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत जबाब का न तो कोई परीक्षण किया गया है और न ही आवंटन निरस्त करने से पूर्व अपीलान्ट को व्यक्तिगत सुनवाई का कोई अवसर ही दिया गया है। निरस्तीकरण के आदेश में यह भी उल्लेख नहीं किया गया है कि उक्त आदेश योजना में वर्णित कौन से प्रावधान के तहत जारी किये गये अर्थात् अपीलान्ट द्वारा यू.आई.टी. की ओर से आवास आवंटन के संबंध में जारी की गई विज्ञप्ति की कौन सी शर्त का उल्लंघन किया है जबकि अपीलान्ट ने मीमो आफ अपील में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि उसके द्वारा भूतपूर्व सैनिक के पुत्र के कोटे में आवास आवंटन हेतु आवेदन किया था। तथा आवेदन पत्र के

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

31.11.2023

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

साथ वांछित दस्तावेज भी संलग्न किये थे। इन दस्तावेजों की जांच के बाद ही नगर विकास न्यास की ओर से अपीलान्ट को आवास आवंटित किया गया था।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नगर विकास न्यास की ओर से जारी पत्र कमांक 3003–005 दिनांक 03.04.2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण सचिव नगर विकास न्यास भरतपुर को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट की ओर से जवाब में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात व तथ्यों का विधिवत परीक्षण करने व अपीलान्ट को व्यक्तिगत सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद पुनः नये सिरे से विस्तृत स्पीकिंग व स्पष्ट आदेश पारित करें।

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 31.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सांवर मल. वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर